


## राजनैतिक पार्टियों को आवंटित आवासों की सूची

क्रम अंक	आवंटिती का नाम	आवास क्रमांक एवं क्षेत्र	आधिपत्य दिनांक	आवंटन आदेश क्रमांक दिनांक
1	श्री रघु ठाकुर	एफ-91/33, चार इमली	23.11.1983	3747 दिनांक 09.10.1983
2	श्री विष्णुचरण जोशी	जी-86/39, तुलसी नगर	14.12.1995	दिनांक 30.11.1995
3	श्री दीपचंद यादव	ई-30, 45 बंगला	07.12.1988	दिनांक 07.12.1988
4	श्री रघुराज सिंह	एफ-5/18, चार इमली	27.07.1991	दिनांक 27.07.1991
5	श्री मोईनुद्दीन सिद्दीकी	जी-86/17, तुलसी नगर	27.04.1996	दिनांक 01.04.1996
6	बहुजन समाज वादी पार्टी कार्यालय	डी-15, 74 बंगला	13.03.2006	एफ-81/05/दो-ए(3) दिनांक 30.06.2005
7	जनता पार्टी कार्यालय	एफ-142/1, प्रोफेसर कालोनी	16.10.1980	30.06.1980
8	समता समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय हेतु (फूलसिंह बरैया)	बी-2, 74 बंगला	31.03.2004	एफ-01-9/04/दो-ए(3) दिनांक 22.03.2004
9	श्री गौरी सिंह यादव, समाज वादी पार्टी	एफ-93/35, तुलसी नगर	15.10.2003	दिनांक 15.10.2003
10	अध्यक्ष अखिल भारतीय गौडवाना पार्टी	एफ-91/33, तुलसीनगर	16.05.2017	793/955/17/दोए(3) दिनांक 31.05.2017
11	राष्ट्रीय अध्यक्ष, गौडवाना गणतंत्र पार्टी	एफ-1/49, 1100 क्वार्टर	08.09.2017	601.2322/17/दो-ए(3) दिनांक 31.08.2017
12	समाजवादी पार्टी	एफ-90/53 तुलसीनगर	11.02.2014	253.54/01.11.2014
13	समता समाधान पार्टी	एफ-108/43, शिवाजी नगर	04.10.2013	2002.2003/10.04.2013

  
 अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी  
 मध्य प्रदेश  
 ग्वालियर (पूर्विक) विभाग  
 ग्वालियर, मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश शासन  
गृह (सामान्य) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23/05/2016

क्रमांक एफ 01-03/2016/दो-ए (3) :: राज्य शासन द्वारा भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम-2000 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात्-

संशोधन आदेश

उक्त नियमों में,

1. अध्याय-2 सामान्य पूल के आवास नियम-10 (2) (3) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-

2(क) ऐसे शासकीय आवास 03 वर्ष की कालावधि के लिये आवंटित किये जा सकेंगे।

(ख) सामाजिक संस्थाओं अथवा राजनीतिक पार्टियों के स्वयं के कार्यालय भवन, भोपाल नगर निगम क्षेत्र में स्थित होने पर उन्हें आवास गृह की पात्रता नहीं होगी।

(ग) ऐसे व्यक्ति, सामाजिक संस्थाओं अथवा राजनीतिक पार्टियों को आवास आवंटन की पात्रता नहीं होगी जिन्हें राज्य शासन द्वारा उनके निवास/कार्यालय के लिये भोपाल में कोई प्लॉट आवंटित किया गया है।

3(क) तीन वर्ष की अवधि के अवसान पर आवंटिती के पात्र होने पर आवंटन को पुनः 03 वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जा सकेगा।

(ख) ऐसे व्यक्ति, सामाजिक संस्थाएं अथवा राजनीतिक पार्टियाँ जिन्हें पूर्व में आवंटित आवास गृह के आवंटन अवधि का अवसान हो चुका है और उसका नवीनीकरण नहीं किया गया, को उनके द्वारा धारित आवास पुनः इन नियमों के अंतर्गत आवंटन किया जा सकेगा, बशर्ते वह अनाधिकृत आधिपत्य की अवधि की उक्त श्रेणी के लिए देय लायसेंस शुल्क से दोगुनी राशि एकमुश्त जमा कर दे।

2. अध्याय-2 सामान्य पूल के आवास नियम-10 (4) (क) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाय अर्थात् :-

(क) प्रतिष्ठित एवं गणमान्य व्यक्तियों, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों, सामाजिक संस्थाओं एवं राजनैतिक पार्टियों को भी उनके लिये गठित पूल में से शासकीय आवास आवंटित किए जा सकेंगे। इस पूल में अधिकतम 40 शासकीय आवास होंगे।

3. अध्याय-छ-प्रेस पूल के नियम-15 (1) (2) (ख) (4) (5) एवं (6) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-

(1) प्रेस पूल में शासकीय आवासों की संख्या पूर्ववत् 230 रहेगी तथा यह आवास गृह "ई" टाईप अथवा उससे निम्न श्रेणी के होंगे।

.....2

(2)(ख) किसी पत्रकार को अगर भोपाल नगर निगम क्षेत्र में पूर्व में आवास के लिए शासकीय भूमि पत्रकारों की गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से आवंटित की गई हो अथवा जिसका स्वयं का निजी आवास गृह नगर निगम सीमा में स्थित हो, तो वह इस कारण से आवंटन के लिए अपात्र नहीं माना जावेगा, परन्तु ऐसे पत्रकार को आवास गृह का प्रेस पूल के लिए निर्धारित सामान्य दर से दोगुनी राशि के बराबर लायसेंस शुल्क देय होगा।

(4) प्रेस पूल के अंतर्गत पत्रकारों को आवास आवंटित करने के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर विचार कर अपनी अनुशंसाएं गृह विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1. मंत्री, जनसम्पर्क - अध्यक्ष
  2. अपर मुख्य सचिव, गृह - सदस्य
  3. प्रमुख सचिव, जनसम्पर्क - सदस्य
- आयुक्त, जनसम्पर्क समिति के संयोजक रहेंगे।

पत्रकारों की पात्रता के संबंध में समिति मापदण्ड स्वयं निर्धारित कर सकेंगी तथा उन्हीं मापदण्डों के अनुसार शासकीय आवास आवंटित किए जावेंगे।

(5)(क) प्रेस पूल के आवासों के आवंटित को शासकीय आवास अधिकतम 03 वर्ष की कालावधि के लिए आवंटित किये जावेगे। समिति की अनुशंसा पर इस आवंटन को पुनः 03 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।

(ख) प्रेस पूल के अंतर्गत वर्तमान में शासकीय आवास गृहों में निवासरत् ऐसे पत्रकार जिनके पक्ष में पूर्व में जारी आवंटन की अवधि का अवसान हो चुका है तथा उन्हें आवास पुनः गृह विभाग द्वारा आवंटित नहीं हुए हैं परन्तु वह इन आवासों में निवासरत् हैं, के आवेदन पत्रों पर भी उक्त समिति द्वारा विचार किया जावेगा। ऐसे पत्रकार यदि आवंटन के लिए पात्र पाये जाते हैं, तो अनाधिकृत आधिपत्य की अवधि की प्रेस पूल के लिए निर्धारित लायसेंस शुल्क से दुगुनी राशि उनके द्वारा एकमुश्त जमा किये जाने पर शासकीय आवास आवंटित किया जा सकेगा।

(6) प्रेस पूल के आवास आवंटित को प्रारूप-4 में अनुबंध पत्र निष्पादित कर 02 माह का अग्रिम लायसेंस शुल्क जमा कराना होगा। शासकीय आवासों का उक्त आवंटन गृह विभाग द्वारा प्रेस पूल के लिए निर्धारित सामान्य दरों पर किया जावेगा।

4. अध्याय-छः प्रेस पूल के नियम-15 (7) के साथ निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-

(7) प्रेस पूल के अंतर्गत आवंटित शासकीय आवास ऐसे आवंटित से रिक्त कराये जा सकेंगे :-

1. जिनके समाचार पत्र वर्तमान में नियमित रूप से प्रकाशित नहीं हो रहे हैं,


अथवा


2. जो स्वयं पत्रकार के रूप में सक्रिय नहीं है,

अथवा

3. जो आवंटन की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है।

शासकीय आवास रिक्त कराने की कार्यवाही गृह विभाग के प्रचलित नियमों के अंतर्गत करने के लिए सक्षम होगा।

  
मुख्य सचिव  
गृह विभाग  
भोपाल

  
( लक्ष्मीकान्त द्विवेदी )  
उप सचिव